केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन
56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

Central Sanskrit University
Established by an Act of Parliament
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

१५०११/२०२१-पी.एच.डी/प्रशा./के.सं.विवि./4387 ०२.११.२०२१

विषय : पीएच.डी / एम.फिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन के सन्दर्भ में गैर मिश्रित (non compounded) अग्रिम वेतन वृद्धि की संस्वीकृति के लिए आवेदन आमंत्रण करने के सम्बन्ध में |

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुझे यह सूचित करने का निर्देश है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना दिनांक १८.७.२०१८ के धारा १९.० के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को पंजीकरण, कोर्स-वर्क और बाह्यमूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन करके सम्बन्धित विषय में पीएच.डी की उपाधि प्रदान की गई है / एमफिल उपाधि धारक है / पीएच.डी में पहले से ही नामांकित है वे सहायक आचार्य / सहायक पुस्तकाध्यक्ष / शारीरिक शिक्षा और खेल कूद सहायक निदेशक के रूप में विश्वविद्यालय में कार्यरत है उनको भर्ती के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली गैर मिश्रित (non compounded) अग्रिम वेतन वृद्धि की संस्वीकृति हेतु निम्नलिखित ऑनलाइन प्रोफोर्मा (online proforma) उचित माध्यम से आमंत्रित है :- weblink – incentives.csu.co.in | यह लिंक विश्वविद्यालय के वेबसाइट के अंतर्गत Faculty Corner में भी उपलब्ध है |

शिक्षक के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से अपना विवरण भरकर परिसर में सम्बंधित विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर आवश्यक दस्तावेज़ सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित हार्डकॉपी परिसर के निदेशक के द्वारा उचित माध्यम से मुख्यालय को दिनांक २०.११.२०२१ तक भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें | जिससे समेकित रिपोर्ट यथाशीघ्र समिति के समक्ष रखी जा सके |

यह पत्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निर्गत किया जा रहा है |

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरी (यू. जी.सी. अधिसूचना)

[प्रो. आर जी मुरली कृष्ण]
उप.निदेशक (प्रशा.)प्रभारी

सेवा में,

समस्त परिसरीय निदेशक,
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रतिलिपि - परियोजना अधिकारी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली आवश्यक कारवाई हेतु |

क्षेत्रों के लिए आयोजित किए जा रहे संगोष्ठियों, कार्यशालाओं पर इन विनियमों के तहत कॅरियर उन्नति योजना में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में विचार किया जाएगा।

19.0 अन्य निबंधन और शर्तें

19.1 पीएचडी/ एमफिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

i. जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दाखिला, पंजीकरण, कोर्स– वर्क और बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन करके संबंधित विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है, वे सहायक आचार्य के रूप में भर्ती के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली वेतन वृद्धि में पाँच गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

ii. सहायक आचार्य के पद पर भर्ती के समय एमफिल उपाधि धारक दो गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

iii. जिन शिक्षकों के पास एलएलएम/ एम.टेक/ एम.आर्क/ एम.ई/ एम.वी.एससी/ एम.डी., आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की उपाधि है जिन्हें संबन्धित सांविधिक निकाय/ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है वे भी प्रवेश स्तर पर दो गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

iv.

(क) जो शिक्षक सेवा के दौरान पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे तभी प्रवेश स्तर पर तीन गैर –मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे यदि पीएचडी, रोजगार से सम्बंधित विषय में की गई है और जो विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, कोर्स– वर्क, मूल्यांकन आदि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके प्रदान की गई हो।

(ख) तथापि, उन सेवारत शिक्षकों को जिन्हें इन विनियमों के लागू होने के समय से पहले ही पीएचडी की उपाधि प्रदान कर दी गई है या पीएचडी में नामांकन हो गया हो, जो कोर्स– वर्क और मूल्यांकन पूरा कर चुके हों, यदि कोई हो तो, और पीएचडी की उपाधि प्रदान करने के संबंध में केवल अधिसूचना जारी की गई हो, तो वे भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे, चाहे, पीएचडी की उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

v. अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, वे शिक्षक जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है वे उस स्थिति में भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स– वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

vi. ऐसे सेवारत शिक्षक जिनका अभी पीएचडी में नामांकन नहीं हुआ है, को प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि का लाभ तभी प्राप्त होगा जब वे सेवा में रहते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त करें और उक्त नामांकन ऐसे विश्वविद्यालय में होना चाहिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नामांकन सहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन करता हो।

vii. ऐसे शिक्षक, जो सेवा के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एमफिल उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते हैं जिन्हें संबंधित सांविधिक निकाय/ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो, भी केवल प्रवेश स्तर पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

viii. ऐसे सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जिनके पास प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालय विज्ञान की विधा में ऐसे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हो, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में पी.एच.डी. प्रदान करने के लिए नामांकन, कोर्स– वर्क, और मूल्यांकन के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का पालन करता हो, वे पांच गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

ix. (क) सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जो सेवाकाल के दौरान कभी भी पुस्तकालय विज्ञान में ऐसे विश्वविद्यालय से जो नामांकन, कोर्स– वर्क, और मूल्यांकन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करता हो, से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

(ख) तथापि, ऐसे शिक्षक, जो सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन हैं, जिन्होंने इन विनियमों के लागू होने से पूर्व पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली है या पहले ही कोर्स वर्क और मूल्यांकन, यदि कोई हों तो, पूरा कर लिया हो और इस सम्बन्ध में केवल अधिसूचना की प्रतीक्षा हो, वे लोग भी केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

ix. सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है, वे प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स–वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

x. अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष और उच्च पुस्तकालय पदों पर आसीन सेवारत व्यक्ति, जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है, केवल उस स्थिति में प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स– वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

xi.ऐसे सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जिनके पास पुस्तकालय विज्ञान में एमफिल की उपाधि है, के लिए प्रवेश स्तर पर दो गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी। सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष और जो उच्च पदों पर आसीन हैं, जो सेवा के दौरान किसी भी समय पुस्तकालय विज्ञान में एमफिल की उपाधि प्राप्त करते हैं के लिए प्रवेश स्तर पर एक गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी।

xii.शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सहायक निदेशक/ महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक, जिनके पास प्रवेश स्तर पर शारीरिक शिक्षा/ शारीरिक शिक्षा और खेलकूद/ खेलकूद विज्ञान में ऐसे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त है, जो शारीरिक शिक्षा/ शारीरिक शिक्षा और खेलकूद/ खेलकूद विज्ञान में पीएचडी की उपाधि के लिए नामांकन, कोर्स वर्क, और मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करता हो, के लिए पांच गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी।

xiii.पूर्वगामी खंडों में किसी शर्त के बावजूद भी, जो पहले से ही इस विनियम या पूर्व योजनाओं/ विनियमों के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर या सेवा के दौरान पीएचडी/ एमफिल की उपाधि के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे इस विनियम के अंतर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

xiv. शिक्षक, पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संवर्ग जिन्होंने सेवा के दौरान पहले ही पीएचडी/ एमफिल की उपाधि प्राप्त करने हेतु मौजूदा नीति के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त किया है, उन्हें इन विनियमों के अंतर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

xv. उन पदों के लिए जहाँ पूर्व योजनाओं/ विनियमों के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर पीएचडी/ एमफिल की उपाधि के आधार पर कोई वेतन वृद्धि स्वीकार्य नहीं थी, वहां पीएचडी/ एमफिल की उपाधि प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ केवल उन नियुक्तियों के लिए होगा, जो इन विनियमों के लागू होने पर या इसके पश्चात् की गई हैं।

19.2 पदोन्नत्ति

जब किसी व्यक्ति की पदोन्नत्ति होगी, तो पदोन्नत्ति पर उनका वेतन नीचे दिए गए पे– मेट्रिक्स अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

पदोन्नति पर, शिक्षक या समकक्ष पद को उस स्तर पर अगले उच्चतर प्रकोष्ठ में प्रविष्ट करके उसके मौजूदा वेतन के अकादमिक वेतन स्तर में कल्पित वेतनवृद्धि की जाएगी और इस प्रकोष्ठ में दर्शाया गया वेतन अब उस पद के अनुरूप नए शैक्षणिक स्तर पर निर्धारित होगा, जहां उसे प्रोन्नत किया गया है। यदि उस वेतन के समान एक प्रकोष्ठ नए स्तर पर उपलब्ध है, तो वह प्रकोष्ठ नया वेतन होगा, अन्यथा उस स्तर पर अगला प्रकोष्ठ शिक्षक या समकक्ष पद का नया वेतन होगा। यदि नए स्तर पर इस पद्धति से परिकलित वेतन नए स्तर के पहले प्रकोष्ठ से कम है, तो वेतन नए स्तर के पहले प्रकोष्ठ पर निर्धारित किया जाएगा।

19.3 भत्ते और लाभ

I. शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संवर्ग हेतु अन्य भत्ते और लाभ, जैसे कि गृहनगर यात्रा रियायत, छुट्टी यात्रा रियायत, विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, गृह निर्माण भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, क्षेत्र–आधारित विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता आदि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान होंगे और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संगत नियमों द्वारा शासित होंगे।

II. केन्द्रीय/ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू पेंशन, उपदान, अनुग्रह राशि इत्यादि भी केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संवर्ग संबद्ध और घटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों, जैसा भी मामला हो, में लागू होंगे।

III. चिकित्सा संबंधी लाभः शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा संवर्ग के लिए सभी चिकित्सा लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होने वाले लाभ के समान होंगे। इसके अलावा, शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा संवर्ग को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत रखा जा सकता है या केंद्र/ राज्य विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों हेतु केंद्र सरकार/ संबंधित राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना, के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, के तहत रखा जा सकता है।

(e) Refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race, gender or sex in their professional endeavour.

18.0 Maintenance of Standards in Higher-Education Institutions:

In order to maintain the academic standards in higher education, the following recommendations shall be adopted by the respective Universities/Colleges/Institutions:

i. The process of evaluation for Ph.D shall be uniform in all the universities in accordance with the respective UGC Regulations and their amendments from time to time, in this regard. The Universities shall adopt these Regulations within six months of their notification.

ii. There shall be special provision of supernumerary Ph.D seats not exceeding 10% of the total seats available in the department, if there is no vacant seat available with the eligible Supervisors in that department, to the in-service teachers for encouraging the faculty members of colleges and universities for getting a Ph.D. degree.

iii. In order to encourage research and increase country's research output, Universities shall accord permission and provide need-based facility for college teachers to supervise Ph.D./M.Phil. scholars. Universities shall amend their Statutes and Ordinances accordingly.

iv. All newly-recruited faculty members shall be provided one-time seed money/start up grant/research grant for establishing a basic research/computational facility as per the provisions laid down in these regulations.

v. The Ph.D. degree shall be made a mandatory requirement for recruitment and promotions in accordance with the provisions laid down in these Regulations.

vi. Research clusters shall be created amongst the universities/colleges/research institutions within the state for sharing research facilities, human resources, skills and infrastructure to ensure optimal utilisation of resources and to create synergies among higher education institutions.

vii. An induction programme of one month shall be introduced for all newly-recruited Assistant Professors in the universities /colleges/institutions ideally before the starting of their teaching work, but definitely within one year of the recruitment of the new faculty member. In addition to the Human Resource Development Centres of the UGC, Universities/Institutions with the Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching(PMMMNMTT) scheme shall also organize such induction programmes as per their mandate.

viii. These induction programmes shall be treated at par with the Orientation Programmes already being run by the Human Resource Development Centres of the UGC for the purpose of the CAS requirements. Universities/Colleges/Institutions shall send the faculty members to such programmes in a phased manner so that the teaching work does not suffer.

ix. All short-term and long-duration capacity-building programmes for teachers/faculty ranging from one week to one month as well as seminars, workshops in different pedagogic and discipline-specific areas being conducted by centres such as Schools of Education (SoEs), Teaching Learning Centres (TLCs), Faculty Development Centres (FDCs), Centres for Excellence in Science and Mathematics (CESMEs), Centres for Academic Leadership and Education Management (CALEMs) under the PMMMNMTT scheme shall be taken into consideration for fulfilment of the requirements as laid down in Career Advancement Scheme of these Regulations.

19.0 Other Terms and Conditions

19.1 Incentives for Ph.D./M.Phil. and other Higher Qualification

i. Five non-compounded advance increments shall be admissible at the entry level of recruitment as Assistant Professor to persons possessing the degrees of Ph.D. awarded in a relevant discipline by the University following the process of admission, registration, course work and external evaluation as prescribed by the UGC.

ii. M.Phil degree holders at the time of recruitment to the post of Assistant Professor shall be entitled to two non-compounded advance increments.

iii. Those possessing Post-graduate degree in the professional course such as LL.M./M.Tech/M.Arch./ M.E./M.V.Sc./M.D., etc. recognized by the relevant statutory body/ council, shall also be entitled to two non-compunded advance increments at the entry level.

iv.

a) Teachers who complete their Ph.D. degree while in service shall be entitled to three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if such Ph.D. is in a relevant discipline of the

discipline of employment and has been awarded by a University complying with the process prescribed by the UGC for enrolment, course work, evaluation, etc.

b) However, teachers in service who have already been awarded Ph.D. by the time of coming into force of these Regulations or having been enrolled for Ph.D. have already undergone course-work as well as evaluation, if any, and only Notification in regard to the award of Ph.D. is awarded, shall also be entitled to the award of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only, even if the university awarding such Ph.D. has not yet been notified by the UGC as having complied with the process prescribed by the Commission.

v. In respect of every other case, a teacher who is already enrolled for Ph.D. shall avail the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if the university awarding the Ph.D. has been notified by the UGC to have complied with the process prescribed by the Commission for the award of Ph.D. in respect of either course-work or evaluation or both, as the case may be.

vi. Teachers in service who have not yet enrolled for Ph.D. shall therefore, derive the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only on award of Ph.D. , while in service only if such enrolment is with a university which complies with the entire process including that of enrolment as prescribed by the UGC.

vii. Teachers who acquire M.Phil. Degree or a post-graduate degree in a professional course recognised by the relevant Statutory Body / Council, while in service, shall be entitled to one advance increment fixed at increment applicable at entry level only.

viii. Five non-compounded advance increments shall be admissible to Assistant Librarian / College Librarian who are recruited at entry level with Ph.D. degree in the discipline of library science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation process for the award of Ph.D. in Library Science.

ix. (a) Assistant Librarian/College Librarian acquiring the degree of Ph.D. at any time while in service, in the discipline of library science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation shall be entitled to three non-compounded advance increments fixed at increment applicable at entry level only.

(b) However, persons in posts of Assistant Librarian/College Librarian on higher positions who have already been awarded Ph.D. in library science at the time of coming into force of these Regulations or having already undergone course-work as well as evaluation, if any, and only Notification in regard to the award of Ph.D. is awaited, shall also be entitled to the award of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only.

x. In respect of every other case of persons in the post of Assistant Librarian / College Librarian or higher positions who are already enrolled for Ph.D. shall avail the benefit three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only if the university awarding the Ph.D. has been notified by the UGC to have complied with the process prescribed by the Commission for the award of Ph.D.in respect of either course-work or evaluation or both as the case may be.

xi. Assistant Librarian/College librarian and others in higher library positions in service who have not yet enrolled for Ph.D. shall therefore, derive the benefit of three non-compounded increments fixed at increment applicable at entry level only on award of Ph.D. while in service only if such enrolment is with a university which complies with the entire process, including that of enrolment as prescribed by the UGC.

xii. Two non-compounded advance increments shall be admissible for Assistant Librarian/College Librarian with M.Phil. degree in Library Science at the entry level. Assistant Librarian/College Librarian and those in higher positions acquiring M.Phil degree in library science at any time during the course of their service shall be entitled to one advance increment fixed at increment applicable at entry level only.

xiii. Five non-compounded advance increments shall be admissible to Assistant Director of Physical Education and Sports / College Director of Physical Education and Sports who are recruited at entry level with Ph.D. degree in the discipline of Physical Education/Physical Education and Sports / Sports Science from a university complying with the process prescribed by the UGC in respect of enrolment, course-work and evaluation process for the award of Ph.D. in Physical Education/Physical Education and Sports / Sports Science.

xiv. Not withstanding anything in the forgoing clauses, those who have already availed the benefit of advance increments for possessing Ph.D./M.Phil at the entry level or in service once either under this regulation or under the earlier schemes/regulations shall not be entitled to the benefit of advance increments under these Regulations.

xv. Teachers, library and Physical Education and Sports cadres who have already availed the benefits of increments as per the then existing policy for acquiring Ph.D./M.Phil. while in service shall not be entitled to advance increments under these Regulations.

xvi. For posts at the entry level where no such advance increments were admissible for possessing Ph.D./M.Phil. under the earlier schemes/regulations, the benefit of advance of increments for possessing Ph.D./M.Phil shall be available to only those appointments which have been made on or after the coming into force of these Regulations.

19.2 Promotion

When an individual gets a promotion, his new pay on promotion would be fixed in the Pay Matrix as follows:

On promotion, the teacher or equivalent position would be given a notional increment in his/her existing Academic Level of Pay, by moving him/her to the next higher Cell at that Level; and the pay shown in this Cell would now be located in the new Academic Level corresponding to the post to which he/she has been promoted. If a Cell identical with that pay is available in the new Level, that Cell shall be the new pay, otherwise the next higher Cell in that Level shall be the new pay of the teacher or equivalent position. If the pay arrived at in this manner is less than the first Cell in the new Level, then the pay shall be fixed at the first Cell of the new Level.

19.3 Allowances and Benefits

I. Other allowances and benefits, such as Hometown Travel Concession, Leave Travel Concession, Special Compensatory Allowances, Children's Education Allowance, Transport Allowance, House Rent Allowance, House Building Allowance, Deputation Allowance, Travelling Allowance, Dearness Allowance, Area-based Special Compensatory Allowance etc. for teachers and Library and Physical Education and Sports Cadres, shall be as applicable to the Central Government employees and be governed by the relevant rules as notified by the Government of India from time to time.

II. Pension, Gratuity, ex-gratia compensation etc. as applicable to Central/State Government employees shall also be applicable to teachers and Library and Physical Education and Sports Cadres of Central/State Universities and Colleges including affiliated and constituent Colleges as the case may be.

III. Medical Benefits: All medical benefits for teachers and Library and Physical Education Cadres, shall be as applicable to the Central Government employees. Further, the Teachers and Library and Physical Education Cadres may be placed under Central Government Health Scheme or any other such scheme of the Central Government/ Health Scheme of respective State Government, as the case may be, for Central/State Universities/Colleges respectively.

APPENDICES

Appendix I	**Fitment Tables for fixation of pay of the existing incumbents, who were in position as on 01.01.2016, in various categories of posts indicated in the tables (MHRD Notification MHRD letters No. Corrigendum F.No.1-7/2015-U.II(1) dated 08.11.2017**
Appendix II	**Assessment Criteria and Methodology** **Table 1 to 3 - For University and College Teachers** **Table 4 - For Assistant Librarian, Deputy Librarian, Librarian etc.** **Table 5 - For Assistant Director/Deputy Director/Director Physical Education and Sports etc.**

SANJEEV KUMAR NARAYAN, Under Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./147/18]